

विनोदा भावे को दान स्वरूप दिया जाना नहीं माना जाएगा। भूतपूर्व जमीनदारों द्वारा दान स्वरूप दी गई जमीन के बदले उन्हें क्षतिपूर्ति (Compensation) का भुगतान देय नहीं होगा।

Section-13 -

भू-दान के अन्तर्गत दान स्वरूप प्राप्त जमीन भू-दान यज्ञ समिति में निहित होना – वैसी जमीन जो आचार्य विनोदा भावे अथवा भू-दान यज्ञ समिति को दान के रूप में प्राप्त हुआ एवं उसमें से जितनी जमीन को DCLR द्वारा संपुष्ट कर दिया गया – वैसी जमीन भू-दान यज्ञ समिति को हस्तांतरित मानी जाएगी, दान की तिथि से,

2. व्यवहार न्यायालय के किसी भी आदेश के तहत उक्त भूमि को न तो बेचा जा सकता है और न ही उसका Attachment किया जा सकता है।

High Court Ruling-

"Under Section 13, the right, title and interest of the donor in any land donated to Acharya Vinoba Bhave or to the Bhoodan Committee, on confirmation of the 'Danpatra' in respect of that land, stands transferred to and vested in the Bhoodan Committee for the purpose of the Bhoodan Yagna with effect from the date of the donation, and such land cannot be made subject to attachment or sale in execution of any decree or order passed by the Civil Court against the Bhoodan Yagna Committee, Pandit Brahma Nand Choubey vs. Members of Bhoodan Committee, 1986 PLJR 414".

Section-14 -

भूमिहीनों को भू-दान की जमीन का वितरण –

निर्धारित प्रक्रिया के तहत भू-दान यज्ञ समिति को प्राप्त एवं संपुष्ट भूमि का वितरण किया जाएगा – भूमिहीनों के बची, Village Community को, Gram Panchayat एवं भू-दान यज्ञ समिति द्वारा संचालित सहकारी सहयोग समिति को – इस प्रकार भूमि प्राप्त करने वालों को वही अधिकार एवं स्वामित्व होगा जो भू-स्वामी का दान के पूर्व था।

वशर्त :-

क) कि दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उनका उत्तराधिकारी उस जमीन को बिक्री करने अथवा किसी अन्य को दान देने हेतु सक्षम नहीं होगे, लेकिन भू-दान यज्ञ समिति की पूर्वानुमति से जमीन का बदलैन कर सकते हैं।

ख) भू-दान रैयत अथवा उसका उत्तराधिकारी भू-दान में प्राप्त जमीन को बंधक लगा सकता है – कृषि कार्य हेतु ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से – किसी बैंक को अथवा पंजीकृत सहकारी सहयोग समिति को।

ग) जमीन किस भूमिहीन परिवार को कितनी दी जाएगी— वह जमीन की उपलब्धता एवं स्थान विशेष पर निर्भर होगा — अलग—अलग जिलों के लिए अलग—अलग मापदंड हो सकता है।

भू—दान यज्ञ कमिटी को दान स्वरूप प्राप्त जमीन के वितरण की प्रक्रिया –

1. भू—दान भूमि का वितरण –

कानून द्वारा संपुष्टि के बाद ही भू—दान भूमि को वितरित करने का अधिकार भू—दान कमिटी को प्राप्त होता है। इस संपुष्ट भू—दान भूमि का वितरण कमिटी को विपन्न भूमिहीनों के बीच विधिवत् कर देना है। किन्तु अपवाद स्वरूप संपुष्टि की प्रत्याशा में भी भूवितरण किया जा सकता है यदि असंपुष्ट दान निर्विवाद एवं स्पष्ट हो।

क) वितरण का अधिकार –

राजस्व विभाग या कोई अन्य सरकारी तंत्र भू—दान भूमि के वितरण का कार्य नहीं कर सकता है। भू—दान भूमि को वितरित करने का अधिकार सिर्फ भू—दान कमिटी को ही है। कमिटी वितरण का यह कार्य भू—दान अधिनियम की धारा 14 के तहत करती है।

2. असंपुष्ट भूमि का वितरण –

ऐसा भी हुआ है कि कुछ प्रमाणिक दानपत्र संपुष्टि के लिये दाखिल कर दिये गये और संपुष्टि से पहले ही वह भूमि वितरित भी कर दी गयी। ऐसे वितरण को “संपुष्टि की प्रत्याशा में वितरण” मानते हुए सरकार ने स्वीकृति दी है। संबंधित सरकारी आदेश पत्र निम्नवत् है –

..... Government have, therefore, been pleased to decide that in all cases where lands have been donated in Bhoodan Yagjna, in respect of which the Danpatras have either been confirmed or are pending confirmation, the revenue officers should not settle such lands with anybody. On the other hand, if the lands have been distributed already by the Bhoodan Committee and Danpatras have also been confirmed, immediate steps should be taken for mutation in the names of the Bhoodan Committee as well as of the Bhoodan Tenants names in Jamindar Rent Rolls, and in case of division of holding, assessment of rent should also be carried out without any loss of time. If, however, lands have been distributed by the committee in anticipation of the confirmation of the Danpatras, the revenue officers should immediately take steps to ensure that the cases relating to the confirmation of Danpatras are disposed of quickly.

(Memo No. E/VII-3067/60/60-9091-L.r., dated Patna, the 12th/14th November, 1960)

3. भू-वितरण की विधि -

भू-दान अधिनियम की धारा 24 के तहत भू-दान कमिटी को अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिये स्वतंत्र रूप से विनियम बनाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए कमिटी ने भूमि वितरण की एक विधि बनाई है जो विनोदा जी द्वारा दिये गये लिखित सूझाव पर अधारित है।

भूमि वितरण के लिए भू-दान के जिला मंत्री के द्वारा संबंधित ग्राम की आम सभा बुलायी जायेगी। आम सभा की तिथि कम से कम एक सप्ताह पहले निर्धारित की जायेगी एवं उसकी जानकारी गाँव के आम लोगों को दी जायेगी। आम सभा की तिथि की जानकारी जिला मंत्री द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को भी दी जायेगी। आम सभा में अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को भी दी जायेगी। आम सभा में अंचल अधिकारी उक्त आम सभा को आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी कारण वश अंचल अधिकारी उक्त आम सभा में भाग नहीं लेते हैं तो वैसे स्थिति में उनके द्वारा प्राधिकृत राजस्व कर्मी उक्त आम सभा में अंचल अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे। आम सभा में ही भूमि के वितरण हेतु भूमिहीन आदाताओं की सूची तैयार की जायेगी। सभापति एवं भू-दान जिला कार्यालय मंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से कार्यालय मंत्री आदाता के नाम भू-दान भूमि का प्रमाण पत्र तैयार कर उसे वितरित करेंगे।

असंपूर्ण भूमि का वितरण -

यदि भू-दान यज्ञ समिति के द्वारा वैसी जमीन का भी वितरण कर दिया गया है, जो भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा संपुष्ट नहीं है, तो वैसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्ता वितरित जमीन से संबंधित दानपत्रों को अविलम्ब संपुष्ट करने की कार्रवाई करेंगे।

भू-दान यज्ञ अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त एवं वितरित जमीन एवं बन्दोबस्तु किये गए सरकारी जमीन से बेदखल किये गए रैयतों को पुनः जमीन पर दखल दिलाने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-7 / बेदखली(विविध)-21 / 14,-590 दिनांक-08.09.2014 के द्वारा भूमि दखल देहानी प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत पंचायत-दार विशेष कैम्पों का ऑपरेशन भूमि दखल देहानी प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत पंचायत-दार विशेष कैम्पों का आयोजन कर प्रत्येक पर्चाधारी/आदाता को दखल दिलाने हेतु अभियान प्रारंभ किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय पत्रांक-378 / रा०, दिनांक-10.10.2011 जो सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी समाहर्ताओं को संबोधित है, में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच वितरित सरकारी भूमि, भू-दान की भूमि, सीलिंग से अधिशेष भूमि पर-उनका दखल सुनिश्चित किया जाए। बेदखली की पुनरावृत्ति के मामलों में अनु०जाति और अनु०-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(ए)का(4) के अन्तर्गत स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की जाए।

अबतक भू-दान जमीन से संबंधित आदाताओं में 50 हजार से अधिक महिला लाभार्थी हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी समाहर्ताओं को यह निदेश दिया गया है कि भू-दान से प्राप्त भूमि एवं अन्य सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत वितरित/बन्दोबस्त जमीन का पर्चा संयुक्त रूप से पत्नी एवं पति के नाम निर्गत किया जाय। पर्चा पर पहला नाम पत्नी का होता है।

भू-दान में प्राप्त एवं वितरित जमीन का दाखिल खारिज अंचल अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। अपर समाहर्ताओं की राज्य स्तरीय मासिक बैठक में भू-दान योजना के अन्तर्गत वितरित जमीन के दाखिल खारिज एवं बेदखली की समीक्षा की जाती है। उक्त बैठक में भू-दान यज्ञ समिति के माननीय अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति जी भी अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ उपस्थित रहते हैं।

Section-14(a) -

Protection to the grantee of Bhoodan land from ejectment-

क) यदि किसी भू-दानी रैयत को उन्हें भू-दान में प्राप्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो वे इस संबंध में राजस्व अधिकारी के समक्ष अपना दखल उक्त भूमि पर दिलाने हेतु आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं।

ख) इस प्रकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अथवा स्वयं राजस्व अधिकारी तथ्य की जाँच करेंगे एवं भू-दानी रैयत को उनकी बेदखल की गयी जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

ग) यदि किसी भू-दानी रैयत को नियम के प्रतिकूल उनकी भू-दान की जमीन से बेदखल करने की धमकी दी जाती है तो वे राजस्व अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र समर्पित करेंगे, जो वैसे आवेदन पत्र प्राप्त होने अथवा स्वयं कार्रवाई प्रारंभ कर इस प्रकार की बेदखली से भू-दान रैयत को सुरक्षा प्रदान करेंगे। यदि वैसे मामलों में सुनवाई की आवश्यकता हो तो अभिलेख प्रारंभ कर संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करेंगे एवं आदेश पारित कर संबंधित रैयत को बेदखली से रक्षा प्रदान करेंगे।

घ) यदि राजस्व अधिकारी के आदेश में अंकित अवधि में भू-दानी रैयत को उन्हें दान में प्राप्त भूमि पर दखल प्राप्त नहीं होता है तो वैसे स्थिति में राजस्व अधिकारी बलपूर्वक बेदखल करने वाले को भू-दान की जमीन से बेदखल करने का कार्य सम्पादित करेंगे और इसके लिए ये आवश्यक सशत्र बल का प्रयोग भी कर सकते हैं।

Section-15 -

Donation and grant of lan prior to the commencement of Act -

क) भू-दान यज्ञ अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व यदि भू-दान आंदोलन के तहत लिखित में जमीन का दान से संबंधित दानपत्र प्राप्त हुआ तो वैसे दानपत्रों को भू-दान यज्ञ समिति द्वारा राजस्व अधिकारी को सम्पुष्टि हेतु भेजा जाएगा।

ख) यदि भू-दान यज्ञ अधिनियम के पारित होने के पूर्व किसी व्यक्ति को भू-दान की जमीन दान में दिया गया वैसी जमीन को अधिनियम के पारित होने के बाद की तिथि में अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत वितरित माना जाएगा।

Section-16 -

Settlement of donated land prior to distribution -

यदि जमीन के दानदाता जमीन के वितरण के तिथि के पूर्व उसे जमीन पर कृषि कार्य करते हैं तो वैसी अवधि के लिए उन्हें जमीन का लाभार्थी माना जाएगा – जमीन के दान की तिथि एवं जमीन के वितरण की तिथि के बीच की अवधि – उक्त अवधि का लगान भी भू-स्वामी के द्वारा ही राज्य सरकार को किया जाएगा।

Section-17 - Appeals-

भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 60 दिनों के अन्दर अपीलवाद दायर किया जा सकता है –

आयुक्त के न्यायालय में यदि संपुष्टि का आदेश समाहर्ता द्वारा पारित किया गया है

समाहर्ता के न्यायालय में यदि संपुष्टि का आदेश – भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा पारित किया गया है

साठ दिनों से अधिक अवधि के बाद अपील बाद दायर किया जा सकता है, लेकिन विलम्ब क्षान्त करने सही/पर्याप्त है।

2. जिन मामलों में अपील दायर नहीं होता है, भूमि सुधार उप समाहर्ता का आदेश अंतिम माना जाएगा एवं अन्य मामलों में अपीलीय न्यायालय का आदेश अंतिम होगा।

3. भू-दान यज्ञ समिति द्वारा अपील दायर करने के मामलों में उसे Court Fee के भुगतान से मुक्त रखा जाएगा।

4. राजस्व न्यायालय से अस्तुष्ट कोई भी व्यक्ति व्यवहार न्यायालय में छः माह के अन्दर बाद दायर कर सकता है।

Section-17(A) -

Power of the Board of Revenue and the Commissioner to call for records -

प्रमंडलीय आयुक्त एवं राजस्व पर्षद के द्वारा निम्न न्यायालय के पारित आदेश से संबंधित अभिलेखों की जाँच किये जाने हेतु अभिलेख को निम्न न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं एवं उसमें पारित आदेश की जाँच कर सकते हैं। उक्त प्राधिकारों के द्वारा वैसे अभिलेखों को भी अपने न्यायालय में हस्तांतरित किये जाने का आदेश दिया जा सकता है, जिसमें निम्न न्यायालय के द्वारा अंतिम आदेश

पारित नहीं किया गया है एवं जो आदेश हेतु लंबित है। वैसे अभिलेखों में प्रमंडलीय आयुक्त एवं Board of Revenue के द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जा सकता है।

लेकिन प्रमंडलीय आयुक्त एवं Board of Revenue के द्वारा आदेश पारित करने निम्न न्यायालय के आदेश में परिवर्तन/संशोधन करने अथवा उसे रद्द करने के पहले संबंधित पक्षों को सुना जाएगा एवं उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

Section-17(B) -

General direction and control of the Collector, Commissioner and the Board -

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दायित्वों के निवर्हन एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राजस्व अधिकारी जिला समाहर्ता, प्रमंडलीय आयुक्त एवं Board of Revenue के दिशा निर्देश में कार्य सम्पादित करेंगे।

Section-18 -

Division of holding and distribution and assessment of rent-

यदि वैसी जमीन जो भू-दान यज्ञ कमिटी में निहित हो गया है वह किसी बड़े भू-भाग का आंशिक भाग है वैसी स्थिति में राजस्व अधिकारी समिति से आवेदन प्राप्त होने अथवा स्वयं उस जमीन के भू-भाग का अलग-अलग भागों विभक्त करेंगे एवं उसके लगान का निर्धारण करेंगे, ताकि संबंधित भू-भाग का लगान सही एवं वास्तविक हो, लेकिन वैसा आदेश पारित करने के पहले राजस्व अधिकारी संबंधित पक्षों को सुनेंगे।

यदि भू-दान में प्राप्त जमीन का लगान निर्धारित नहीं है तो वैसी स्थिति में विहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा-5, 6, एवं 7 के अंकित प्रावधान के आलोक में उस जमीन का लगान निर्धारित करेंगे।

High Court Ruling

"The application to the Collector for fixation of rent by a person who had been granted certain plots of land by 'Dan Patra' and whose possession over the land in question had been confirmed in earlier proceedings by the LRDC must be held to be maintainable. A finding to the contrary by Revenue Authority is erroneous and will be liable to be set aside by the High Court in exercise of its writ jurisdiction. Balbhadra Dixit vs. State of Bihar 1992 (2) PLR 42."

Section-19 -

Bhoodan Tenant-

कोई भी व्यक्ति (Village community Gram Panchayat, or a Co-operative Society organised by the Committee), जिन्हें भू-दान यज्ञ समिति के द्वारा अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत जमीन दान स्वरूप दिया गया है वे भू-दान रेयत कहलायेंगे। उनके नाम से जमीन का दाखिल खारिज निहित प्रक्रिया के तहत किया जायेगा एवं उनके रेन्ट रौल में निम्नलिखित प्रविष्टयाँ किया जाएगा—

1. जमीन का विवरण— खाता, खेसरा, रकवा, मौजा, थाना नं०, अंचल
2. भू-दानी रेयत का विवरण—
3. राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान की राशि
4. किस प्रावधान के तहत लगान का निर्धारण किया गया है।
5. किस प्रावधान के तहत भू-दान रेयत को जमीन उपलब्ध करायी गयी है।
6. भू-स्वामी का नाम जिनके द्वारा जमीन दान में दिया गया।
7. अन्य आवश्यक सूचनाएँ।

Section-20 -

Exemption from stamp duty and registration-

भू-दान यज्ञ की जमीन स्टाम्प डयूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त होगा।

Section-21-

Determination of grant and ejectment of grantee from the land-

कोई भी व्यक्ति जिसे भू-दान की जमीन दान में दिया गया है किसी प्रावधान का उलंघन करता है तो वैसी स्थिति में भू-दान यज्ञ समिति राजस्व अधिकारी के समक्ष उक्त आशय का आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं एवं वैसे रेयत से जमीन वापस लेकर कमिटी को वापस दिला सकते हैं।

Section-22-

भूमि पर विधि-विलङ्घ कब्जा रखनेवाले व्यक्तियों को बेदखल करना— राजस्व पदाधिकारी किसी भी व्यक्ति को जिसने विधि की अनुसारता से अन्यथा किसी ऐसी भूमि पर कब्जा कर रखा हो, जिसके संबंध में धारा 11 के अधीन भू-दान यज्ञ दानपत्र की पुष्टि पहले ही हो चुकी हो, अपनी जानकारी के आधार पर स्वयं या समिति के आवेदन पर ऐसे भूमि से बेदखल कर सकेंगा।

Section-22(A)-

Procedure for ejection-

यदि राजस्व अधिकारी को यह लगता है कि भू-दान की जमीन को किसी व्यक्ति विशेष के कब्जा से हटाया जाना आवश्यक है तो वैसे व्यक्ति को राजस्व अधिकारी लिखित में आदेश देंगे एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत भू-दान यज्ञ कमिटी को जमीन यापस दिलायेंगे। लेकिन उक्त के लिए संवंधित पक्षों को नोटिस निर्गत किया जाना आवश्यक होगा एवं उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा।

Section-22(B)-

Sums payable to the Committee or the State Government shall be recoverable as public demand-

कोई भी राशि जो भू-दान यज्ञ कमिटी अथवा राज्य सरकार को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय होगा की वसूली लोक मांग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

Section-23(A)-

Penalty-

यदि कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित आदेश का उलंघन करता है वैसी व्यक्ति को एक साल के केंद की सजा अथवा दो हजार रुपया जर्माना अथवा दोनों सजा दिया जा सकेगा। लेकिन किसी भी न्यायालय के द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लेने के पूर्व जिला समाहर्ता की पूर्वानुमति लिखित में प्राप्त करना आवश्यक होगा।

Section-24-

Power to make regulations-

भू-दान यज्ञ समिति निम्नलिखित मामलों में Regulations बना सकती है।

भू-दान यज्ञ के प्रपत्र में संशोधन भूमिहीनों की जमीन दान में दिये जाने के संबंध में वैसे शर्त निर्धारित कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

भू-दान यज्ञ समिति के लिए बजट प्रावक्तव्य तैयार कर सकती है।

भू-दान के पदाधिकारी एवं कर्मियों की नियुक्ति कर सकती है।

समितियों का गठन कर सकती है, जो भू-दान यज्ञ समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी।

किसी भी भूमिहीन व्यक्ति को कितनी जमीन दान स्वरूप दी जाएगी उसका अधिसीमा एवं निम्न सीमा का निर्धारण भू-दान यज्ञ समिति कर सकेगी।

कोई अन्य मामला जिसका निर्धारण किया गया हो।

Section-25-

नियमावली तैयार करने की शक्ति— राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों को मुर्त रूप देने हेतु नियमावली तैयार किया जा सकता है, जिसमें निम्न मामले सम्मिलित होंगे –

1. भू-दान यज्ञ दानपत्र के साथ कौन-कौन से अभिलेख समर्पित किये जायेंगे।

2. जाँच का स्वरूप एवं उसका प्रकार क्या होगा।

3. आपत्ति आवेदन पत्र का स्वरूप क्या होगा। पंजीकरण किस प्रकार किया जाएगा। सुनवाई एवं निष्पादन किस प्रकार किया जाएगा।

4. सूचना का तातो किस प्रकार कराया जाएगा। दानपत्रों की संपुष्टि एवं उसे रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। अन्य कोई भी विषय —

संपुष्टि –

"A question as to whether the person in actual possession of the land is a tenant should be referred to ---- Reverse Authority for decision"

---- Marties vs. Narayan Hari Naik

----- 1994 Sc-1956.

The Bihar Bhoodan Yagna Rules, 1955

Rule-1

Short title and commencement-

Rule-2

Definitions-

Rule-3

Filing and publication of the danpatra-

दानपत्र को संपुष्टि हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में दानदाता अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा भू-दान यज्ञ कमिटी के प्रतिनिधि के द्वारा समर्पित किया जाएगा।

भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में उपलब्ध कराये गए सभी दानपत्रों की प्रविष्टि एक पंजी में प्रपत्र-1 में किया जाएगा। पंजी में प्रविष्टि के पश्चात् संबंधित दानपत्र को निम्नलिखित विधि के द्वारा प्रकाशित करते हुए आपत्ति आवेदन पत्र की मांग की जाएगी –

1. प्रपत्र-2 में नोटिस निर्गत किया जाएगा। नोटिस के साथ दानपत्र की प्रति संलग्न रहेगा। नोटिस एवं दान पत्र को गाँव के किसी सार्वजनिक स्थल पर, पंचायत भवन पर एवं अंचल कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

2. दानपत्र एवं नोटिस की प्रति भू-दाता एवं भू-दान यज्ञ कमिटी को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

आपत्ति आवेदन पत्र लिखित में प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

Rule-4

Mode of service of public notice and disposal of objection-

नियम 3 के अन्तर्गत आम सूचना एवं खास सूचना के प्रकाशन के आलोक में प्राप्त आपत्ति आवेदन पत्रों से संबंधित विवरणी को एक पंजी में प्रपत्र-3 में संधारित किया जाएगा एवं उसकी सुनवाई हेतु नोटिस प्रपत्र-4 में निर्गत किया जाएगा, जिसके द्वारा आम एवं खास लोगों को दानपत्र में अंकित जमीन से संबंधित अपने दावा को संपुष्ट किये जाने हेतु प्रमाण/साक्ष्य उपस्थापित किये जाने का अनुरोध किया जाएगा।

2. निर्गत नोटिस की एक प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, साथ ही भू-दाता एवं आपत्तिकर्ता को सुनवाई से संबंधित तिथि एवं समय की सूचना पंजीकृत डाक से पावती रसीद के साथ दिया जाएगा, साथ ही नोटिस की प्रति भू-दान यज्ञ समिति को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

Rule-5

Service Reoprt-

यदि नोटिस को विशेष दूत के माध्यम से भेजा जाता है तो वैसे स्थिति में संबंधित विशेष दूत के द्वारा तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही तामिला पर दो गवाहों का हस्ताक्षर भी अंकित होगा। यदि आपत्तिकर्ता अथवा भू-धारी अथवा भू-दान यज्ञ समिति के द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया जाता है तो उसकी प्रविष्टि भी नोटिस में गवाहों के साथ किया जाएगा, साथ ही नोटिस की प्रति नोटिस लेने से इंकार करने वाले व्यक्ति के घर के बाहर चिपका दिया जाएगा।

High Court Ruling-

"sub-rule (3) of Rule 5 case a duty on the Enquiry officer to record the evidence produced by the parties and thereafter submit his report. Any order passed without following mandatory procedure prescribed under Rule 5 is liable to be set aside. Rajeshwar Prasad vs. State Bihar, 1989 (2) BLJR 448.

Where enquiry was conducted by the Circle Inspector and report Submitted to Anchal Adhikari without Service of notice, the subsequent order passed by the Revenue Authority Carrot be Sustined Rajeshwar Pd. vs. State of Bihar BLR-448-1989"

Rule-6

Manner of inquiry by the Revenue Officer-

सुनवाई की तिथि को संबंधित पक्षों के द्वारा उपस्थापित कागजातों की जाँच के साथ ही मूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा अन्य साक्ष्यों जैसे वे आवश्यक समझें, की सम्यक जाँच एवं परिक्षण कर सकते हैं एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में दानपत्र को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में संपुष्ट किया जाएगा।

Rule-6(A)

Written undertaking to the State Government under Section 12 foregoing compensation [including ad-interim Payment] payable in respect of vested lands.-

Rule-7

Order confirming the danpatra and registration of such order -

भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा जिन दानपत्रों को पूर्णतः एवं आंशिक रूप में संपुष्ट किया जाएगा उससे संबंधित जमीन की विवरणी उनके द्वारा अपने आदेश में अंकित किया जाएगा, साथ ही जिस दानपत्र को असंपुष्ट किया जाएगा उससे संबंधित जमीन की विवरणी भी अपने आदेश में भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा अंकित किया जाएगा।

Rule-8

Conditions of grant -

Rule-9

Scheme of Bhoodan Yagna -

Rule-10

Conditions of settlement of donated lands prior to distribution -

Rule-11

Assessment of rent on proprietor's private or landlord privileged lands, etc -

Form-I

[See rule 3 (2).]

REGISTER OF BHOO DAN YAGNA DANPATRA FILED BEFORE THE
REVENUE OFFICER-

Form-II

[See rule 3 (3).]

NOTICE OF PUBLICATION OF BHOO DAN YAGNA DANPATRA-

Form-III

[See rule 4 (1).]

REGISTER OF OBJECTIONS FILED BEFORE THE REVENUE OFFICER-

Form-IV

[See rule 4 (1).]

PUBLIC NOTICE OF OBJECTION-

Form-V

[See rule 11 (b).]

RENT-ROLL SHOWING FAIR RENT DETERMINED IN RESPECT OF THE
DONATED LANDS OF THE DESCRIPTION MENTIONED IN SECTION 18(2) OF
THE BIHAR BHODAN YAGNA ACT, 1954-

Form-VI

[See rule 6 (A).]

UNDERTAKING TO THE STATE GOVERNMENT UNDER SECTION 12
FOREGOING COMPENSATION (INCLUDING AD-INTERIM PAYMENT) IN
RESPECT OF VESTED LANDS-

समस्याएँ :-

1. रोहतास की समस्या—
2. भू—दान भूमि पितरण के अयोग्य होना –
3. Land Acquisition अधिनियम के अन्तर्गत अर्जन –
4. एक ही जमीन सरकार द्वारा बन्दोबस्त एवं भू—दान द्वारा दानपत्र अलग—अलग लोगों को –
5. गैर मजरुआ जमीन का पर्चा
6. भू—दान किसान को उसे दी गयी जमीन से वेदखली/कब्जा दिलाना
7. दाखिल खारिज
8. भू—दान आदाताओं के भूमि का लगान निर्धारण
9. दानपत्र एवं संपुष्टि आदेश का पंजीकरण – भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा संपुष्ट किये गए सभी दानपत्रों को सब रजिस्ट्रार के कार्यालय को धारा-13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु (Registration) हेतु भेजा जाएगा।
10. वैसी जमीन से संबंधित दानपत्र जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया है, जबकि उस जमीन पर एक से अधिक लोगों का हकीयत/अधिकार है।

Where enquiry was conducted by the Circle Inspector and report Submitted to Anchal Adhikari without Service of notice, the subsequent order passed by the Revenue Authority Carrot be Sustined Rajeshwar Pd. vs. State of Bihar BLR-448-1989

Bihar Land Ceiling Act or Manual

Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area And Acquisition of Surplus land) Act 1961 and Rules 1963

Section 4:- Maximum Limit of Land

धारा- 1. विस्तार (Extent)

2. परिमाण

3. अधिनियम का प्रभावी होना।

(a) Class I Land- 15 Acre or 6.0705 Hectare.

एक से अधिक मौसम में सिंचाई की व्यवस्था कम से कम दो फसल उगाना सिंचाई व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा।

(b) Class II Land- 18 Acre or 7.2846 Hectare.

एक से अधिक मौसम में सिंचाई की व्यवस्था नलकूप, उदवह सिंचाई, सिंचाई निर्माण प्राइवेट द्वारा।

(c) Class III Land- 25 Acre or 10.1175 Hectare.

मात्र एक से अधिक मौसम में पानी की व्यवस्था प्राइवेट नलकूप-विजली-डिजल से एक मौसम में।

(d) Class IV Land- 30 Acre or 12.141 Hectare.

बाग, बागीचा, उद्यान आदि।

(e) Class V Land- 37.7 Acre चौर भूमि, दियारा भूमि

(f) Class VI Land- 45 Acre पहाड़ी रेतीली, जंगली जलमग्न भूमि।

Section 5:- कोई भी अधिकतम सीमा से अधिक भूमि धारण नहीं करेगा कुटुम्ब के सभी सदस्यों द्वारा धारित हो सयुक्त रूप से कुटुम्ब द्वारा धारित समझी जाएगी।

09.09.1970 के पहले दान / Sale आदि को Valid माना गया।

Section 6:- Return File करने हेतु भू-स्वामी पर Notice (भू-विवरणी समर्पित करने हेतु सूचना)।

Section 7:- अन्य अभिकरण से सूचना प्राप्त करेगा।

Section 8:- गलत विवरणी के लिए पंचायत Land Lord पर Notice पर तीस दिनों के अन्दर जानकारी दे। समझी जाएगी।

Section 9:- अधिकतम क्षेत्र एवं पसंद की भूमि चुनने का हक Land Lord का।

Section 10:- Draft Publication जानकारी के आधार पर, जांच कराने के उपरान्त (विहित में प्रपत्र) दावे के निपटारे के बाद 10(3)।

Section 11:- Draft का अंतिम प्रकाशन, प्राधिकारियों के पास भेजा जाना।

Section 12:- Raiyat द्वारा भूमि का ग्रहण दर रैयत से

Section 15 (i):- अधिशेष भूमि का लोक प्रयोजन हेतु अर्जन तथा भूधारी को सूचना देना।

Section 15 (ii):- में सभी अवभार से मुक्त समझी जाएगी।

Section 16 (i):- कोई भी व्यक्ति इतना जमीन धारण नहीं करेगा जो निर्धारित सीमा से अधिक हो जाय।

Section 16 (ii):- भूमि की घोषणा।

Section 16 (iii):- Coshare- तीन में Collector के पास Case दाखिल करेगा मूल्य +10% जमा करेगा। D.M द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त के यहाँ।

Section 18 :- विरासत, दान, वसीन आदि से भविष्यवर्ती अर्जन पर प्रतिबंध—अगर पुनः किसी रैयत को जमीन Gift मिला जाय तो Surplus होगा।

Section 20 :- रैयत द्वारा जमीन उप पट्टे पर दिया जाना।

Section 21 :- दररैयत द्वारा रैयत का अधिकार अर्जन।

Section 22 :- अधिशेष भूमि के दर रैयत द्वारा रैयत का हैसियत अर्जन।

Section 27 :- अधिशेष भूमि का निपटावा वितरण।

Section 30 :- Appeal other than Collector Before 30 days (collector-Commissioner)

Section 31 :- Transfer of Proceeding and Recall By Collector

Section 32 ख:- नए सिरे से कार्यवाही का प्रारम्भ किया जाना 11 (1) के अन्तर्गत अंतिम प्रकाशन नहीं होने की स्थिति में ही।

Section 35 :- जानकारी मांग करने की शक्ति।

Section 45 B :-राज्य सरकार अभिलेख मांग कर जांच कर सकेगी। Reopening of Ceiling

Case 45 B- Reopen राज्य सरकार ही करेगी।

Section 45 C :-Land Lord की मृत्यु के बाद Legal Heir का Substitution Rules की धारा

Section 44- धारा 27(1) से अधिग्रहित जमीन की वंदोवस्ती सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ की जाएगी। Other than Collector के द्वारा पारित भूमि वंदोवस्ती आदेश के विरुद्ध Appeal-D.M के यहाँ D.M के आदेश के विरुद्ध आयुक्त के यहाँ परवाना निर्गत होगा।

Executive Order Vide Letter No-8245 dated 16-08-1963.

Order Para 9 (i) - जमीन Not Transferable

(ii) - राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण

(i) - Rent Revision.

SDO/DCLR/CO/BDO- को Collector की शक्ति प्रदान की गई Letter No- 8283, dated-
16-08-1963

धारा 2-ee- परिवार- (वयस्कता के अवधारण के लिए-09.09.70 की तिथि)-निर्धारित है। पति, पली, अव्यरक्त बच्चे, 09.09.70 को अगर जवान है, शादी शुदा है तो अलग से 1 यूनिट, मृत है तो पली + बच्चे को 1 यूनिट मिलेगा। अगर छठा + सातवा अव्यरक्त पुत्र होतो अधिकतम सीमा में दसंवाहिस्सा-अलग-उलग जोड़ दिया जायेगा-किन्तु $1\frac{1}{2}$ गुना से अधिक जमीन नहीं होगा Page 29

2 F - भूमि 6 प्रकार कृषि, बागीचा, खडहुर, चारागाह, जलमग्न भूमि, वन भूमि, वास भूमि। वास भूमि में-फलोद्यान, आंगन, अहाता, निवासगृह, पृजागृह, पुस्तकालय आदि। चाय बागान भी कृषि भूमि में आएगा।

2 G - भूधारक- रेयत, दर रेयत, वंदोवस्ती भूमि का धारक, पट्टेदार

- A. विश्वविद्यालय, अस्पताल, अनाथालय, आदि परिवार की श्रेणी में नहीं।
- B. मंदिर के देवता को भी युनिट देय माना गया। धार्मिक न्यास को पृथक इकाई।
- C. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 195 इ के अनुसार पिता की मृत्यु पर पुत्री एक पृथक इकाई की हकदार हो जाती है। पुत्री का ससुराल का Share+ पिता की जमीन-जोड़कर Ceiling Act के Preview को देखना होगा।
- D. कलक्टर अन्तर्गत अधिनियम-कलक्टर में स्पष्ट अन्तर है। प्राधिकारी- के आदेश से अगर जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित हुई तो उसे सही माना जाएगा। प्राधिकारी-कलक्टर, आयुक्त, राजस्व बोर्ड।

- E. परिवार से भिन्न पृथक रहती पत्नी को पति द्वारा अन्तरित की गई भूमि अधिशेष जमीन के अवधारण के लिए पति के जोत में शामिल की जाएगी। Page 31
- F. भूधारी को जमीन के अन्तरण की अनुमति है वशर्त कि वह समाहर्ता से अनुमति ले। Page 31
- G. भूदबंदी अधि में सांविधिक परिवार की कल्पना है। मुस्लिम विधि के परिवार के पुत्र को निताक्षरा द्वारा शासित वयस्क पुत्रों के समान हिस्सा मिलेगा। Page 34
- H. भूदबंदी प्राधिकारी को वैचारिक बंटवारा का अधिकार नहीं है। Page 40
- I. भूमि का सत्यापन कब, कैसे, किसके द्वारा CI/KC/CO, खतियान, जमाबंदी आदि से, जिले के सभी CO से सत्यापन कराना।

धारा 29— केन्द्र या राज्य सरकार की भूमि पर इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे।
 अध्याय-II— भूमि की अधिकतम सीमा—धारा 4 से 11
 अध्याय-III— रैयत द्वारा दर रैयत से भूका पुर्नग्रहणधारा—12,13 एवं 14
 अध्याय-IV— अधिशेष भूमि का अर्जन— 15, 15 क
 अध्याय-V—भविष्यवर्ती अर्जन पर प्रतिबंध—धारा—16,17 एवं 18
 अध्याय-VI—उप पट्टे पर प्रतिबंध— धारा—19 एवं 20
 अध्याय-VII— दर रैयत द्वारा अधिभोगी रैयत की हैसियत अर्जित किया जाना—धारा—21 एवं 22
 अध्याय-VIII—प्रतिकर—धारा—23, 24, 25 एवं 26
 अध्याय-XI— अधिशेष भूमि का निपटाव—धारा—27 एवं 27 क
 अध्याय-X— एक एकड़ से अधिक भूमि धारण करनेवाले भूधारकों से भूमि का अर्जन—धारा—28
 अध्याय-XI—छूट—धारा—29
 अध्याय-XII—विविध—धारा—30 से 47 तक अपील।
 भूदबंदी के निष्पादन हेतु की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
 (1) भूधारी द्वारा दाखिल रिटर्न—

मू0 ह0 30 की धारा—6 के अन्तर्गत आम सूचना के अनुपालन में कोई भूधारी अपनी भूमि का रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें अधिनियम का धारा—8(1) के अन्तर्गत L.C. Form 3 में सूचना देकर उन्हें 30 दिनों के अन्दर रिटर्न दाखिल करने का आदेश देना है अगर भूधारी रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो इसके लिए उसी धारा में जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

- A. भूधारी का रिटर्न L.C. Form 3 एवं उसके उपबाधिक प्रपत्रों में दाखिल किया जाना है।
- B. रिटर्न का सत्यापन राजस्व पदाधिकारी से अधिनियम के नियम 8 के अन्तर्गत करवाना है।
- C. अंचलाधिकारी रिटर्न को सत्यापित करनेवाले पदाधिकारी प्रश्नावली संलग्न के साथ सभी विन्दुओं पर सत्यापन कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जमीन के वर्गीकरण के संबंध में Act की धारा—4 के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है। दिनांक—22.10.1959 को लागिन भगि का नियमा देता है।

- D. Act की धारा-5 के अन्तर्गत के प्रावधान के आलोक में भूमि के अन्तरण संबंधी जांच करनी है। मुख्यतः दिनांक-09.09.70 के पूर्व की बिक्री यदि सही पायी जाती है तो उसे भूधारक द्वारा धारित भूमि से मुक्त करके धारित भूमि एवं Ceiling सीमा की गणना की जाएगी। दिनांक-09.09.70 के बाद का अन्तरण संशोधित अधिनियम की धारा-9(2) के अनुसार भूधारी की इच्छित भूमि मानी जाएगी और उसे अनके युनिट के अन्तर्गत देय भूमि में सम्मिलित करना है।
- E. क्रेता, दानवर्ती, जिने नाम अन्तरण है उन्हें सूचना निर्गत का उनसे S/C की मांग की जाएगी कि उनके नाम किए गए अन्तरण को क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए। न्यायालय के संतुष्ट हाने पर अन्तरण को सही मानते हुए अन्तरित भूमि को भूहदबंदी वाद से मुक्त किया जा सकेगा। किन्तु किसी भी स्थिति में दिनांक-09.09.70 के बाद अन्तरित भूमि मुक्त नहीं की जाएगी बल्कि ऐसी भूमि को भूधारी के युनिट में देय भूमि में शमिल किया जाएगा।
- F. भूधारी द्वारा धारित भूमि की गणना के पश्चात Act की धारा-2(ee) के अन्तर्गत परिवार की परिभाषा के आलोक में युनिट का निर्धारण करना है कि उस परिवार में कितनी इकाई देय है। इसके लिए प्रतिस्थापित तिथि-09.09.70 है और 09.09.70 को परिवार में वयस्क सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है उन्हें एक परिवार मानते हुए पूर्ण इकाई स्वीकृत की जा सकेगी।
- G. परिवार में विभिन्न व्यक्तियों के नाम धारित भूमि को भूहदबंदी सीमा के निर्धारण हेतु एक साथ गणना करनी है तथा कुल भूमि का निर्धारण करते हुए दिनांक-09.09.70 को वयस्क सदस्यों के लिए एक युनिट स्वीकृत करना है।
- H. एक परिवार में पति-पत्नी और तीन अवयस्क बच्चे शामिल होंगे। तीन से अधिक बच्चे यदि 09.09.70 को उस परिवार में थे तो ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए 1/10 एकड़ अतिरिक्त युनिट स्वीकृत करते हुए भूमि देय होगी। वर्ग-I-15 एकड़, वर्ग-II-18, एकड़, वर्ग-III-25 एकड़, वर्ग-IV-30 एकड़, वर्ग-V-37.50 एकड़, वर्ग-VI-45 एकड़ (धारा-4 के अनुसार)
- I. धारा-9 में इच्छित भूमि रखने का प्रावधान है। भूधारी अपनी इच्छित भूमि का यचन कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि या तो रिटर्न दाखिल करने के समय या धारा-10(3) की आपत्ति देते समय अपनी इच्छित भूमि का विवरण प्रस्तुत करें।
- J. संशोधित अधिनियम 55/82 के अन्तर्गत धारा-9 में उप धारा-2 जाड़ा गया है। यह वैसी भूमि के लिए है जिसे 09.09.70 के बाद भूधारी ने अन्तरित किया है। इस धारा के अनुसार इसे भूधारी की इच्छित भूमि मानी जाएगी और उनके युटिन में दी जाने वाली भूमि में शामिल की जाएगी।
- K. धारा-10 के अन्तर्गत प्रारूप प्रकाशन :-
 अभिलेख पर एकत्रित सूचनाएँ एवं सुनवाई के बाद उठाए गए सभी विन्दुओं पर निर्णय लेना है (विधि सम्मत) इस आदेश में भूधारी द्वारा धारित भूमि की गणना कर भूधारक के परिवार में देय युनिट की स्वीकृति देनी है। और यह देखना है कि भूधारक के पास हदबंदी सीमा से अधिक भूमि है या नहीं। यदि अधिशेष भूमि कहे तो धारा-10(1) के अन्तर्गत किये गये प्रावधान के आलोक में प्रारूप प्रकाशन करना है।

प्रारूप प्रकशन में L.C. Form 6 में सूचना Form 5 में भूमि का विवरण, वर्गीकरण आदि सूचनाओं के साथ देनी है। प्रारूप प्रकाशन के समय भूधारी द्वारा धारित भूमि कुल विवरण सूची "क— में दिया जाना है। भूधारी को युनिट में दी जाने वाली भूमि सूची 'ख' एवं अधिशेष भूमि सूची 'ग' में देना है। सूची 'ख' एवं 'ग' का केवल क्षेत्रफल अंकित किया जा सकता है।

L. प्रारूप प्रकशन तीस दिनों की अवधि तक होगी। 30 दिनों के अन्दर या उसके तुरंत बाद भूधारी अथवा संबंधित व्यक्तियों को धारा-10(33) में आपत्ति दाखिल करने का अधिकार है। न्यायालय विशेष परिस्थिति में इस अवधि को 15 दिनों के लिए विस्तार कर सकता है।

M. धारा-10(3) की आपत्ति पर समुचित सुनवाई एवं आवश्यकतानुसार जांच की जानी है। सभी विन्दुओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायालय धारा-(11) के अन्तर्गत अंतिम प्रकाशन के लिए आदेश पारित करेगा। इस आदेश में न्यायालय यदि संतुष्ट हो तो प्रारूप प्रकाशन में संशोधन का आदेश दे सकते हैं और तदनुसार संशोधन कर प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि हप्रारूप में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यता नहीं हैं तो प्रारूप का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

N. अंतिम प्रकाशन में L.C. Form 5 में भू विवरण के साथ करना है। प्रपत्र 5 के साथ भूधारी द्वारा धारित भूमि सूची 'क' में भूधारी को युनिट में दी गई भूमि, सूची 'ख' में तथा अधिशेष भूमि का विवरण सूची 'ग' में दिया जाएगा।

O. प्रारूप एवं अंतिम प्रकाशन की यह विवरणी संबंधित जिले के जिला गजट में प्रकाशित होगी। विवरणी अथवा जिला गजट की एक-एक प्रति संबंधित अनुमंडल/अंचल/पंचायत में प्रकाशित की जाएगी। इसकी एक प्रति संबंधित भूधारक को भी दिया जाना है। प्रकाशन की अवधि 30 दिनों की होगी।

P. अंतिम प्रकाशन की विवरणी के प्रकाशन की अवधि समाप्त होने के पश्चात अधिशेष भूमि का अधिग्रहण अधिनियम की धारा-15 (1) के अन्तर्गत लोक प्रयोजन के लिए कर लिया जाएगा। इसके लिए जिला समाहर्ता को शक्ति प्रदत्त है।

Q. अंतिम प्रकाशन के बाद भूधारी यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। अपील दायर करने तथा अपील में स्थगन आदेश पारित होने की सूचना संबंधित न्यायालय में दिया जा सकता है। यदि निर्धारित आवधि में अपली न्यायालय का आदेश प्राप्त हो जाता है तो तदनुसार कार्यवाही की जाएगी अन्यथा निम्न न्यायालय अग्रिम कार्रवाई कर सकता है।

R. अधिशेष अर्जित भूमि के निष्पादन के लिए अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करनी है।

S. अधिशेष अर्जित भूमि के अन्दर यदि कोई वटाईदार है तो उसे धारा 22 के अंतर्गत रैयती हक देने का प्रावधान है। उसके लिए संबंधित रैयत के नियम 25 के अन्तर्गत संबंधित न्यायालय (समाहर्ता) में आवेदन करना होगा।

- वटाई का दावा शिकमी/नवैयत/कायमी है या दखलकार का है।
- वटाई का दावा किसी सक्षम न्यायालय से संपुष्ट है या नहीं
- आवेदक के पास कल कितनी जमीन हैं